न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 28/16
निर्णय दिनांकः 14.06.2018

1. श्योजी पुत्र रामचन्द जाति बलाई नि0 कोठेड़ा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. बिरदा दत्तक पुत्र गोरू उर्फ गोरधन
2. गोविन्दराम उर्फ गोमाराम पुत्र हनुमान
3. गुल्लाराम पुत्र हनुमान
4. फूला बेवा हनुमान
5. संज्या
6. लाली
7. मुन्ना
8. लक्ष्मी
9. केली

समस्त पिसरान रामचन्द्र जाति बलाई नि0 कोठेड़ा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

10. सब रजिस्टार सांभरलेक जिला जयपुर राज0
11. तहसीलदार तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं स्व0 रामचन्द्र के वारिस है स्व0 रामचन्द्र के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात खाता सं0 17 की आराजी खं0नं0 62 रकबा 5 बीघा, खं0नं0 63 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, खं0न0 64 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 189 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 208 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 244/70 रकबा 7 बीघा 3 विस्वा किता 6 कुल रकबा 25 बीघा 10 विस्वा में हिस्सा 1/3 तथा खाता सं0 56 की आराजी खं0नं0 90 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा में हिस्सा 1/6 तथा खाता सं0 57 की आराजी खं0नं0 143 रकबा 45 बीघा 12 विस्वा में हिस्सा 1/2 तथा खाता सं0 58 की आराजी खं0नं0 149/2 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 185 रकबा 3 विस्वा गै0मु0 चाह, खं0नं0 186 रकबा 18 विस्वा, खं0नं0 188 रकबा 1 बीघा, खं0नं0 190 रकबा 18 विस्वा, खं0नं0 191 रकबा 16

धिकारी
क

Scanned by CamScanner

विस्वा, खं0नं0 192 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 193 रकबा 2 विस्वा, खं0नं0 195 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 203 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 204 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 206 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 213 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 246/113 रकबा 0.02.19 विस्वा किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 14.19 विस्वा में हिस्सा 1/3 वाकै ग्राम कोठेड़ा प0ह0 सिरोहीखुर्द गि0ह0 सांभर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। प्रतिवादी सं0 1 बिरदा स्व0 रामचन्द का जायंदा पुत्र है लेकिन बिरदा की 8–10 साल की आयु में ही उसे गोरू उर्फ गोरधन जो स्व0 रामचन्द्र का रिश्ते में भाई लगता था को अपनी पत्नि की सहमति से गोद दे दिया था एंव गौरू उर्फ गोरधन ने अपनी पत्नि की सहमति से गोद ले लिया था। गांव समाज के लोगो की मौजूदगी में गोद की रस्म परिपूर्ण की जाकर प्रतिवादी सं0 1 को गोरू उर्फ गोरधन की गोद में बैठाकर नारियल पताशे बाटें गये थे तब से प्रतिवादी सं0 1 बिरदा अपने दत्तक पिता गौरू उर्फ गोरधन के साथ ही निवास करता आ रहा था गोरू उर्फ गोरधन ने ही उसका लालन पालन किया था। प्रतिवादी सं0 1 के दत्तक पिता गोरू उर्फ गोरधन के देहावसान पश्चात् उसकी खातेदारी की आराजी खं0नं0 94 रकबा 0.5 है, खं0नं0 95 रकबा 0.76 है0, खं0नं0 103 रकबा 0.16 है0, खं0नं0 105 रकबा 0.08 है किता 4 कुल रकबा 1.05 है वाकै ग्राम झकोलड़ तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर में स्व0 गोरू उर्फ गोरधन के 1/4 हिस्सें का फौती नामान्तकरण एवं आराजी खं0नं0 72/1 रकबा 15 बीघा वाकै ग्राम कोठेड़ा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 का फौती नामान्तकरण जरिये नामान्तकरण सं0 93 दिनांक 04.10.77 को प्रतिवादी सं0 1 बिरदा दत्तक पुत्र गोरू के नाम खोला गया। तब से वह स्व0 गौरू की आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है हाल ही प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त आराजी को लालाराम पुत्र रामचन्द्र को विक्रय कर दिया है जिसके विक्रय का नामान्तकरण क्रेता के हक में जरिये नामान्तकरण सं0 341 दिनांक 09.12.15 को खोला जा चुका है। प्रतिवादी सं0 1 बिरदा के गोरू उर्फ गोरधन के गोद चले जाने के बाद अपने प्राकृतिक पिता रामचन्द्र से व उसकी आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकर नहीं था रामचन्द्र के जीवनकाल में ही दिनांक 04.10.77 को जरिये नामान्तकरण सं0 93 से प्रतिवादी सं0 1 बिरदा ने अपने दत्तक पिता की सम्पति में अधिकार प्राप्त कर लिया था इसलिए उसके प्राकृतिक पिता की आराजी से उसका कोई हक अधिकार नहीं था। प्रतिवादी सं0 1 बेहद चालाक किस्म का व्यक्ति है परिवार में बड़ा होने से वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 उस पर पूर्ण विश्वास करते थे रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 20.01.93 को होने के पश्चात् प्रतिवादी सं0 1 ने विश्वास का नाजायज उठाकर जरिये नामान्तकरण सं0 170 दिनांक 07.05.93 को वादग्रस्त आराजी की विरासत का फौती नामान्तकरण "स्व0 जेतुड़ी बेवा रामचन्द्र, श्योजी, बिरदा पुत्र रामचन्द्र, फूला बेवा हनुमान, गुल्लाराम, गोमाराम पुत्र हनुमान" के नाम खुलवा लिया जबकि प्रतिवादी सं0 1 बिरदा का स्व0 रामचन्द्र की छोड़ी हुई वादगस्त आराजी से कोई

अधिकारी

Scanned by CamScanner

सम्बन्ध सरोकार नहीं था क्योकिं वह बचपन में ही गोरू उर्फ गोरधन के गोद जा चुका था एंव गोरू उर्फ गोरधन नही मृत्यु पश्चात् उसकी आराजी में दत्तक पुत्र की हैसियत से हक अधिकार प्राप्त कर चुका था स्व0 रामचन्द्र की छोड़ी हुयी आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 का कोई ना तो कभी कब्जा काश्त रहा ना है वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 ही उसके वारिसान है एवं वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है काबिज काश्त है व लगान अदा कतरे आ रहे है। आराजी खं0नं0 94, 95, 103, 105 किता 4 कुल रबा 1.05 है0 वाकै ग्राम झकोलड़ तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में भी प्रतिवादी सं0 1 बिरदा ने गोरू उर्फ गोरधन की आराजी के विरासत का फौती नामान्तकरण दत्तक पुत्र की हैसियत खुलवाने के बावजूद स्व0 रामचन्द्र की आराजी के विरासत का फौती नामान्तकरण भी अन्य वारिसान के साथ स्वंय के नाम खुलवा लिया था। जिस पर दिनांक 27.07.12 को वादी व अन्य द्वारा एक वादपत्र विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 अनुवानी श्योजीराम बनाम बिरदाराम वाद सं0 315/12 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू में दायर किया था जो दिनांक 10.09. 12 को निर्णित किया जाकर जरिये राजीनामा वादीगण के हक में डिक्री किया जा चुका है व प्रतिवादी बिरदा का नाम स्व0 रामचन्द्र की आराजी में से हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है इसलिए ग्राम कोठेड़ा स्थित स्व0 रामचन्द्र की आराजी में से उसका नाम हजफ किया जाना आवश्यक जेतुड़ी बेवा रामचन्द्र की मृत्यु होने के पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2071 में खाता 17 की आराजी खं0नं0 62, 63, 64, 189, 208, 244/70 किता 6 कुल रकबा बीघा 10 विस्वा में खातेदारी गोविन्दराम उर्फ गोमाराम, गुल्लाराम पि0 हनुमान ला बेवा हनुमान श्योजी बिरदा पि0 रामचन्द्र, संज्या, लाली, मुन्ना, लक्ष्मी, केली त्रीया रामचन्द्र हि0 1/3 तथा खाता सं0 56 की आराजी खं0नं0 90 रकबा 6 घा 6 विस्वा में खातेदारी गोविन्दराम उर्फ गोमाराम गुल्लाराम पि0 हनुमान फूला ा हनुमान हि0 1/12, श्योजी बिरदा पि0 रामचन्द्र संज्या, लाली, मुन्ना, लक्ष्मी, ली पुत्रीया रामचन्द हि0 1/12 तथा खाता सं0 57 की आराजी खं0नं0 143 बा 45 बीघा 12 विस्वा में खातेदारी गोविन्दराम उर्फ गोमाराम गुल्लाराम पि0 मान फूला बेवा हनुमान हि0 1/4 श्योजी बिरदा पि0 रामचन्द्र संज्या, लाली, ा, लक्ष्मी, केली पुत्रीया रामचन्द्र हिस्सा 1/4 तथा खाता सं0 58 की आराजी नं0 149/2, 185, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 203, 204, 206, 213, /113 किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 14.19 विस्वा में खातेदारी गोविन्दराम गोमाराम गुल्लाराम पि0 हनुमान फूला बेवा हनुमान हि0 1/6 श्योजी बिरदा रामचन्द्र संज्या, लाली, मुन्ना, लक्ष्मी, केली पुत्रीया रामचन्द्र हि0 1/6 के नाम चली आ रही है जिसमे प्रतिवादी सं0 1 बिरदा पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज तेदारी हजफ फरमाई जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 को खातेदार तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 ने भी वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम हजफ करवाते हुए कहा

धिकारी

Scanned by CamScanner

तो वह आश्वासन देता रहा कि कब्जा काश्त तो तुम्हारा है ही नाम भी हजफ करवा दूंगा लेकिन दिनांक 09.12.15 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा बिरदा पुत्र गोरू के नाम की खातेदारी का विक्रय करने तथा नामान्तकरण क्रेता के नाम खुलने के बाद प्रतिवादी सं0 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है दिनांक 30.01.16 को प्रतिवादी सं0 1 दीगर व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त आराजी पर आया व वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा बताकर विक्रय करने की बातचीत करने लगा तो वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 ने मना किया तो प्रतिवादी सं0 1 ने धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी में मेरे नाम हिस्सा दर्ज है जिसे मैं बेचान करके तुम्हे बेदखल करवा दूगा इसलिए वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 के हक हकूकों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 5 की ओर से वकील श्री मोहम्मद अयूब कुरेशी ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4, 6 लगा0 9 की ओर से वकील श्री मोहनलाल वर्मा ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल लायी जाती है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प श्रीरामपुरा में पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित है प्रतिवादी सं0 11 की तरफ से जवाब मय दस्तावेज पेश कर कथन किया कि बिरदा अपने काका गोरू के गोद गया था उसकी मृत्यु के उपरान्त गोरू के नाम की भूमि का नामान्तकरण भी इसके नाम खुला था जिसका बेचान बिरदा द्वारा किया जा चुका है तथा क्रेता के नाम भी नामान्तकरण खुल चुका है। मजमेंआम में सुना गया व जानकारी प्राप्त की। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया नामान्तकरण सं0 93 दिनांक 04.10.1977 से साबित है कि गोरू पुत्र ज्ञाना की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी सं0 1 बिरदा दत्तक पुत्र गौरू के नाम नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है साथ ही नामान्तकरण सं0 107 दिनांक 07.05.1993 का अवलोकन किया गया जिससे भी साबित होता है कि रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण जेतुड़ी बेवा रामचन्द्र, श्योजी, बिरदा पुत्र रामचन्द्र, फूला बेवा हनुमान, गुल्लाराम, गोमाराम पुत्र हनुमान के नाम खोल गया है उपरोक्त दोनों नामान्तकरण के अवलोकन से साबित है कि प्रतिवादी सं0 1 बिरदा गोरू का दत्तक पुत्र है ओर गोरू से बतौर पुत्र विरासत में प्राप्त आराजी का नामान्तकरण उसके नाम खोला जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया गया है उक्त पूर्ववृर्ति नामान्तकरण के पश्चात् रामचन्द्र की विरासत का नामान्तकरण खोला गया है जिसमें भी प्रतिवादी सं0 1 का नाम प्राकृतिक पिता रामचन्द्र से विरासत में प्राप्त आराजी में दर्ज किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा वाद सं0 315/12 उनवानी श्योजीराम वगै0 बनाम बिरदाराम निर्णय दिनांक 10.09.12 की प्रति का अवलोकन करने से यह

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

साबित होता है कि बिरदाराम ने उक्त प्रकरण में गोपधन के गोद जाना बतलाया है तथा उसकी की आराजी पर काबिज काश्त होना बताया है तथा रामचन्द्र को प्राप्त भूमि जो उसके नाम है में वादीगण को बराबर बराबर रूप से खातेदार घोषित किये जाने में कोई आपति नहीं की है बल्कि राजीनामा प्रस्तुत कर स्वीकार किया है कि मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जावें। उक्त राजीनामें के आधार पर प्रकरण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 का नाम रामचन्द्र से विरासत में प्राप्त आराजी में से हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया है इस प्रकार नामान्तकरण सं0 93, 170 के अवलोकन तथा उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा वाद सं0 315/12 निर्णय दिनांक 10.09.12 के अवलोकन से यह पूर्णतया साबित है कि प्रतिवादी सं0 1 गौरू का दत्तक पुत्र है एवं उसने गोरू की आराजी बतौर दत्तक पुत्र प्राप्त की है। कानूनन प्रतिवादी सं0 1 एक ही जगह अधिकार प्राप्त कर सकता है जब वह गोरू के दत्तक जा चुका है एवं उसकी आराजी विरासत में प्राप्त कर चुका है तो वह रामचन्द्र की आराजी मे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074, नामान्तकरण सं0 93, 170, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा वाद सं0 315/12 निर्णय दिनांक 10.09.12 की प्रतिया न्यायालय में पेश की है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बावत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 17 की आराजी खं0नं0 62 रकबा 5 बीघा, खं0नं0 63 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, खं0न0 64 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 189 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 208 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 244/70 रकबा 7 बीघा 3 विस्वा किता 6 कुल रकबा 25 बीघा 10 विस्वा में हिस्सा 1/3 तथा खाता सं0 56 की आराजी खं0नं0 90 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा में हिस्सा 1/6 तथा खाता सं0 57 की आराजी खं0नं0 143 रकबा 45 बीघा 12 विस्वा में हिस्सा 1/2 तथा खाता सं0 58 की आराजी खं0नं0 149/2 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 185 रकबा 3 विस्वा गै0मु0 चाह, खं0नं0 186 रकबा 18 विस्वा, खं0नं0 188 रकबा 1 बीघा, खं0नं0 190 रकबा 18 विस्वा, खं0नं0 191 रकबा 16 विस्वा, खं0नं0 192 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 193 रकबा 2 विस्वा, खं0नं0 195 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 203 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 204 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 206 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 213 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 246/113 रकबा 0.02.19 विस्वा किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 14.19 विस्वा में हिस्सा 1/3 वाकै ग्राम कोठेड़ा प0ह0 सिरोहीखुर्द गि0ह0 सांभर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में से बिरदा पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज खातेदारी

खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

ाफ की जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 को खातेदार काश्तकार घोषित या जाता है एवं प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया ता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 की कब्जें श्त, उपयोग व उपभोग में मजाहमत न करे ओर न ही अन्य से करावें। राजस्व ोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार की पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प रामपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक
साँभर ...

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

मुकाम सांभर लेक

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक
बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
श्योजी बनाम बिरदा वगै0
वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 281/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भागचन्द सांभरिया व हाजरी श्री मोहम्मद अयूब कुरेशी मिनजानिब मुददई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 17 की आराजी खं0नं0 62 रकबा 5 बीघा, खं0नं0 63 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, खं0न0 64 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 189 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 208 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 244/70 रकबा 7 बीघा 3 विस्वा किता 6 कुल रकबा 25 बीघा 10 विस्वा में हिस्सा 1/3 तथा खाता सं0 56 की आराजी खं0नं0 90 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा में हिस्सा 1/6 तथा खाता सं0 57 की आराजी खं0नं0 143 रकबा 45 बीघा 12 विस्वा में हिस्सा 1/2 तथा खाता सं0 58 की आराजी खं0नं0 149/2 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 185 रकबा 3 विस्वा 0मु0 चाह, खं0नं0 186 रकबा 18 विस्वा, खं0नं0 188 रकबा 1 बीघा, खं0नं0 190 कबा 18 विस्वा, खं0नं0 191 रकबा 16 विस्वा, खं0नं0 192 रकबा 1 बीघा 5 स्वा, खं0नं0 193 रकबा 2 विस्वा, खं0नं0 195 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 203 कबा 1 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 204 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 206 रकबा 1 घा 19 विस्वा, खं0नं0 213 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 246/113 रकबा 0. 19 विस्वा किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 14.19 विस्वा में हिस्सा 1/3 वाकै म कोठेड़ा प0ह0 सिरोहीखुर्द गि0ह0 सांभर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में बिरदा पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज खातेदारी हजफ की जाकर वादी व प्रतिवादी 2 लगा0 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं0 1 जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी में ी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 की कब्जें काश्त, उपयोग व उपभोग में मजाहमत कारी क

Scanned by CamScanner

न करे ओर न ही अन्य से करावें। .....

.....निज ..... मुबलिग..... बाबत्.....

..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत.....

उप खण्ड अधि
साँमर ले

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner